भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उप खण्ड (2) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 11 (आर ई - 2010) /2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर,2010

विषयः- दालों के निर्यात पर निषेध - मालदीव गणतंत्र को 60 मी.टन दालों के निर्यात पर छूट के संबंध में ।

सां.आ.(अ) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.1 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या 35 /2009-14 दिनांक 30.03.2010 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 15 (आर ई - 2006)/ 2004-09 दिनांक 27.06.2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

2. अधिसूचना संख्या 15(आर ई-2006)/2004-09 दिनांक 27.06.2006 द्वारा, दालों के निर्यात पर निषेध लगाया गया था, जिसे प्रारंभ में 6 माह की अवधि के लिए लगाया गया था और वर्तमान में इसे अधिसूचना संख्या 35/2009-2014 दिनांक 30.03.2010 द्वारा 31.03.2011 तक बढ़ा दिया गया है ।

3. अब, मालदीव गणतंत्र को, मैसर्स एम एम टी सी लि0 के माध्यम से 60 मी.टन दालों के निर्यात की अनुमति दी जा रही है, जो कि उक्त अधिसूचनाओं के द्वारा लगाए गए निषेध का अपवाद है।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
ई मेल :- dgft@nic.in

(फा0सं0 01/91/171/59/ए एम 09/एक्सपोर्ट सेल से जारी)